कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1248 / FP/UK/ROAD/41149/2019 :देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अर्न्तगत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग हेतु 5.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन के संबध में। प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/41149/2019

संदर्भः–भारत सरकार के पत्र सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 164 / 2020 / एफ0सी0 / 2022 दिनांक 24.12.2020 ।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1879 / 12–1 दिनांक 12.11.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार संलग्न है–

S.NO.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	ग्राम सेराड़ के आगे मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अंतिम दो एक अन्य मुख्य मार्ग के समीप स्थित है। राज्य सरकार इस संवध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करें।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति लछैर सें कटियानी तक 12.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। चूंकि 12.00 किमी0 में मार्ग कटियानी से नहीं जुड पा रहा है। कटियानी से जोडने हेतु अतिरिक्त 2.50 किमी0 लं0 की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा 2.50 किमी0 स्वीकृति हेतु शासन को आगणन प्रेषित किया गा है उक्त मोटर मार्ग से आगे की ओर 2.50 किमी0 में कटियानी तक सम्पूर्ण नाप भूमि पडती है जिसे स्वीकृति उपरान्त अलग से निर्मित किया जाएगा। अतः प्रस्तुत मार्ग औचित्यपूर्ण है।
2.	As per DSS analysis, 3 ha. Area found in MDF proposed in civil and soyam land. DFO may inspect the area and submit site inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per heactor can be accommondate or not. if not then the plantaion scheme as per guideline dt.08.11.2017 may be submitted .	Site Inspection Report of DFO has been uploaded in Form A,Part I.Hard copy attached with the letter.(संलग्नक –1)
3.	राज्य शासन द्वारा सी0ए0 योजना में प्रस्तावित राशि को वर्तमान दर के अनुसार पुनरीक्षित किया जायें।	उक्त पत्र द्वारा अवगत करया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Hard copy of plantaion scheme संलग्न कर दी गयी है।(संलग्नक–2)

4.	Cost Benefit analysis not found uploaded.State GOVT.may upload the C/B analysis online.	Cost benefit analysis has been uploaded in Form A, Part I. Hard copy attached with the letter(संलग्नक–3)
5.	Documents uploaded in Part II Are not Properly scanned.State GOVT. may ensure that all the documents uploaded online are properly scanned.	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Documents अपलोड भाग–2 में कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें विभाग को मान्य होगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– /FP/UK/ROAD/41149/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 1879/ 12–1 दिनांक 12.11.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।